

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07102022-239437
SG-DL-E-07102022-239437असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2022/अश्विन 14, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 280
No. 445]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944	[N. C. T. D. No. 280

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

संख्या- 05/2022-राज्य कर (दर)

फा. सं. 03(17)/वित्त(व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/797.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं.फा. 03(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-I/379, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग- IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- 1) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2) में,-

(क) शब्द, अंक और प्रतीक “जिसने 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का का भुगतान नहीं किया है” को निरसित किया जाएगा;

(ख) परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“बशर्ते और भी कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी, जहां,—

i. आपूर्तिकर्ता ने डीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकरण कराया हो और फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया हो, और

ii. आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता को लागू दरों पर राज्य कर लगा कर इनवॉयस जारी किया हो, और अपने द्वारा जारी ऐसे इनवॉयस के बारे में अनुबंध III में यथा—निर्धारित घोषणा की हो।”;

2) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, उपवाक्य (2), मद (i) को शब्द और प्रतीक “(i) डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।”

3) क्रमांक 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"5कक	किसी पंजीकृत व्यक्ति को आवासीय भवनों को किराए पर देने के माध्यम से दी गई सेवा।	कोई भी व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति।”;

4) अनुलग्नक II के बाद, निम्नलिखित अनुलग्नक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“अनुलग्नक III

घोषणा

मैंने/हमने डीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष _____ के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।”.

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017— राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, को सं.फा. 03(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/379, दिनांक 30 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 29/2019—राज्य कर (दर), दिनांक 23 अक्टूबर, 2020, सं.फा. 03(13)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/130, दिनांक. 23 अक्टूबर, 2020, के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव -I (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th October, 2022

NO. 05/2022-STATE TAX (RATE)

F. No. 3 (17)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/797.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of this Government issued vide No.13/2017-State Tax (Rate), the 30th June, 2017, published in the

Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30th June, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table, -

(1) against serial number 1, in column (2), -

(a) the words, figures and symbols “who has not paid state tax at the rate of 6%,” shall be omitted;

(b) after the proviso the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that nothing contained in this entry shall apply where, -

- i. the supplier has taken registration under the DGST Act, 2017 and exercised the option to pay tax on the services of GTA in relation to transport of goods supplied by him under forward charge; and
- ii. the supplier has issued a tax invoice to the recipient charging State Tax at the applicable rates and has made a declaration as prescribed in Annexure III on such invoice issued by him.”;

(2) against serial number 5, in column (2), in the sub-clause (2), in item (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than Central Government, State Government or Union territory or local authority” shall be omitted;

(3) after serial number 5A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“5AA	Service by way of renting of residential dwelling to a registered person.	Any person	Any registered person.”;

(4) after Annexure II, the following annexure shall be inserted, namely: -

“Annexure III

DECLARATION

I/we have taken registration under the DGST Act, 2017 and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the Financial Year _____ under forward charge.”.

II. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

Note: -The principal notification No.13/2017-State Tax (Rate), the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30th June, 2017 and was last amended vide notification no. 29/2019 -State Tax (Rate), dated the 23rd October, 2020, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (13)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/130, dated the 23rd October, 2020.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. I (Finance)